न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,

UPBH010041932026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1571/12A/2026

राकेश कुमार त्रिवेदी पुत्र परमानन्द त्रिवेदी निवासी तकिया मौजा रखौना, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ..... विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–253/2026
धारा–115(2), 352, 351(3), 105, 110 बी.एन.एस. व
धारा 3(1)(द ध), 3(2)(V), 3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच।

27.07.2026

1– यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त **राकेश कुमार त्रिवेदी** पुत्र परमानन्द त्रिवेदी निवासी तकिया मौजा रखौना, थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–253/2026 धारा–115(2), 352, 351(3), 105, 110 बी.एन.एस. व धारा 3(1)(द ध), 3(2)(V), 3(2)(VA) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त दिनांक–02.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। नोटिस वादी मुकदमा पर तामील है।

2– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त जमानत देने को तैयार हैं।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी दुर्गेश गौतम पुत्र मूले गौतम साकिन बेहड़ा थाना खैरीघाट जिला बहराइच का निवासी है जो गरीब अनुसूचित जाति (चमार) विरादरी का व्यक्ति है तथा राकेश कुमार त्रिवेदी पुत्र परमानन्द निवेदी साकिन तकिया मोजा रखौना थाना खैरीघाट गंगाधर मिश्रा पुत्र बृजनाथ मिश्रा मुन्नु पाण्डेय पुत्र सूर्य नरायन पान्डेय साकिन बेहड़ा थाना खैरीघाट जिला बहराइच के निवासी है जो सरकस बदमाश जरायभ अपराधिक किश्म के व्यक्ति है दिनांक 20.06.2026 समय लगभग आठ बजे प्रार्थी मजदूरी करने के सिलसिले में मैकू

पुरखा जा रहा प्रार्थी–आटो रिक्शा आने का इन्तजार कर रहा था तभी विपक्षी राकेश कुमार त्रिवेदी पुत्र परमानन्द आटो रिक्शा लेकर आ गया और प्रार्थी से पूछने लगा कि राजू चौराहा चलोगे प्रार्थी ने कहा कि मेरे साथ। दो लोग है और जिनका नाम गिरधारी व भुपयारे है आने का इन्तजार करना पड़ेगा तभी दोनो व्यक्ति की आने में कुछ विलम्ब हो गया तभी विपक्षी ने फोन करके गंगाधर मिश्रा व मून्नू पान्डेय को बुला लिया उपरोक्त विपक्षीगण ने मिलकर प्रार्थी अनावश्यक मा बहिन की बुरी बुरी गलिया जाति सूचक चमार साले कहते हुए प्रार्थी को खीचकर वेसमेन्ट में ले गये और प्रार्थी को लात मुक्का मुक्का थप्पड़ व लाठी डण्डा से मारने पीटने लगे प्रार्थी को जान से मार डालने से नियत से प्राण घातक हमला किया लाठी के हूरे से प्रार्थी अण्डकोष पर घातक हमला किया लाठी की हूरे से प्रार्थी के पेट की आत फट गयी है तथा सन्तुलन बिगड़ गयी है प्रार्थी कि शोर मचाने पर तो मां तथा प्रार्थी का भाई दवा लेने के लिए बाजार गई हुई थी शोर सुनकर पहुंचे तो देखा प्रार्थी को बुरी तरीके से मारपीट कर लहुलुहान कर दिया प्रार्थी की मां व भाई प्रार्थी को बचाने लगी तो उनको भी लात मुक्का थप्पड़ से मार पीट कर जाति सूचक गलिया व जान माल की धमकी दी उपरोक्त विपक्षीगण प्रार्थी को मार पीट कर मरणासन अवस्था में छोड़कर चले गये प्रार्थी की मां व भाई प्रार्थी को लेकर थाने गयी घटना की लिखित तहरीर दिया थाने के द्वारा न तो प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज और न ही कार्यवाही की और प्रार्थना पत्र को फाड़कर फेक दिया। प्रार्थी की आत फट जाने के कारण आपरेशन कराया गया है। जिसकी हालत नाजूक बनी हुई है।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है तथा बिल्कुल दोषी नहीं है क्योंकि चोटहिल दुर्गेश गौतम काफी दिनों से संभवतः हार्निया का रोगी था और हार्निया के दर्द से परेशान रहता था डाक्टर ने आपरेशन के लिए बोला था तभी कथित घटना के दिन पक्षकारों के कुछ कहा सुनी हो गयी बाद में कथित घटना के कई दिन बाद अपने रोग हार्निया के इलाज के लिए ताहिरा हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर रिंग रोड सेक्टर 10 विकास नगर लखनऊ में दिनाँक–27.06.2026 को भर्ती हुआ और वहीं अपने रोग का आपरेशन करवाया तथा उसी रोग व अन्य कारणों से दुर्गेश गौतम की मृत्यु हो गयी। इसका पी०एम० बहराइच में हुआ। उसमें भी संभवतः मृत्यु का कारण बीमारी दिखाया गया है। प्रार्थी एक मजदूर पेशा व्यक्ति है और मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता है। मात्र प्रधान व कोटेदार की दुश्मनी के कारण प्रार्थी को नामजद कर दिया गया है क्योंकि प्रार्थी कोटेदार व प्रधान का बहुत करीबी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी दिनों बाद दर्ज करवायी गयी है और उसका कोई स्पष्ट कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। प्रार्थी विवेचना में पूरा सहयोग करेगा। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

5– इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

6– मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

7– पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को जातिसूचक गालियां देने, लात, घूंसो, थप्पड़ एवं लाठी डण्डा से मारने पीटने व जान से

मारने की नियत से प्राणघातक हमला करना, लाठी से पेट पर गंभीर प्रहार करना, जान से करने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित है। केस डायरी के पर्चा नं० 1 में वादिनी मुकदमा श्रीमती मंजू देवी ने घटना का विवरण देते हुए बताया है कि उसका पति दिनांक 20.06.2026 को समय करीब 08 बजे मजदूरी करने के सिलसिले में मैकूपुरवा जा रहे थे तथा बेहड़ा चौराहे पर आटो रिक्शा आन का इंतजार कर रहा था तभी विपक्षी राकेश कुमार त्रिवेदी आटो रिक्शा लेकर आ गया और उसके पति से पूंछने लगा कि राजी चौराहा चलोगे। उसके पति ने कहा कि मेरे साथ दो और लोग हैं आने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी दोनों व्यक्ति की आने में कुछ बिलम्ब हो गया। विपक्षी राकेश कुमार ने फोन करके गंगाधर मिश्रा व मुन्नू पाण्डेय को बुला लिया और उसके पति को माँ बहन की बुरी–बुरी गालियां तथा जातिसूचक शब्दो की कहते हुए उसके पित को सरकारी शराब की दुकान के पास खीचकर बेसमेन्ट में ले गये और उसके पति दुर्गेश गौतम को लात मुका थप्पड़ व लाठी डण्डों से मारने पीटने लगे तथा उसके पति को जान से मार डालने की नियत से प्राण घातक हमला किये और लाठी की हूरे से उसके पति के अण्डकोष पर घातक हमला किया। लाठी के हुरे से मारने से उसके पति के पेट की आंत फट गयी जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। शोर पर वह व उसके सास मौके पर पहुंचे तो उन्होने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी लात मुका थप्पड़ से मारा पीटा तथा जातिसूचक गालियां दी। इसी सी०डी० में साक्षी अजय कुमार ने घटना के सुनने के बारे में कहा है कि उसमें कौन–कौन शामिल थे उनकी जानकारी में होने का बयान दिया है। उसे जानकारी नहीं है। केस डायरी के पर्चा नं० 2 में मृतक दुर्गेश गौतम के पोस्टमार्टम में सभी चोटों पर सर्जिकल बैन्डेज लगा होना दर्शित किया है। मृत्यु का कारण Injury No.1, ELEVEN (11) SUTURES WERE PRESENT VERTICALLY IN THE MIDLINE OF THE 1 ABDOMEN, CROSSING THE UMBILICUS. Injury No.2, 02 SUTURES PRESENT ON RIGHT LUMBAR REGION. Injury No.3, 02 SUTURES PRESENT ON LEFT LUMBAR REGION. Injury No.4, 06 SUTURES PRESENT ON ILIAC REGION OBLIQUELY. Injury No.5, A PART OF THE SMALL INTESTINE, MEASURING 6 X 5.5 X 1 CM, WAS PROTRUDING THROUGH THE ABDOMINAL WALL. IT WAS PARTIALLY ATTACHED TO THE ABDOMINAL WALL BY ONE SUTURE, WHILE THE REMAINING SUTURES WERE EXPOSED. THIS WAS SITUATED BETWEEN INJURY NO. 01 AND INJURY NO. 03. Injury No.6, AFTER OPENING INJURY NO. 04, THE SOFT TISSUES WERE FOUND TO BE INCISED AND SUTURED OVER A LENGTH OF 6 CM. Injury No.7, ALL INJURIES WERE COVERED WITH SURGICAL BANDAGES EXCEPT INJURY 7 NO. 05.

8– पंचायनामें में पंचान की राय में मृत्यु लड़ाई, झगड़ा या किसी पूर्व बीमारी से हुई है,स्पष्ट नहीं है। अंकित है। सी०डी० के पर्चा नं०–9 में रामकली व रूप कुमार गौतम का बयान अंकित है जिसमें रूप कुमार द्वारा स्वयं व उसकी माँ को बाजार से दवा लेने की बात कहते हुए बयान दिया है। वहीं वादिनी मुकदमा श्रीमती मंजूदेवी ने स्वयं को अपनी सास के साथ दवा लेने जाना कहा है। जो एक दूसरे के विरोधाभाषी है। जहां सी० डी० के पर्चा नं० 10 के साथ ताहिरा

हास्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर लखनऊ के पर्चे दाखिल किये गये है जिसमें दिनांक 27.06.2026 को मृतक को भर्ती कराया गया जिसमें मृतक के इलाज के दौरान एम.आर. आई. दिनांक 26.06.2026 को करायी गयी जिससे उसके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पायी गयी। (No evidence of solid organ injury) तथा उसके अण्डकोष नारमल (Prostate normal) थे। यह तहरीर में आया है कि लड़ाई झगड़ा अचानक दिनांक 20.06.2026 को होना आया है तथा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.06.2026 को दर्ज करायी है जिसके देरी का कोई कारण अभियोजन द्वारा दर्शित नहीं किया है। वहीं कोई स्पष्ट आशय मारने का या चोट पहुंचाने का अभियोजन द्वारा स्पष्ट नहीं किया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से यह विदित हो रहा है कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है जिसके लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है उसकी रिपोर्ट अभी पत्रावली पर नहीं है। ऐसे में आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित की गयी चोटों के कारण मृत्यु हो जाना दर्शित नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम में आयी चोटें मृतक के शरीर पर आपरेशन के दौरान लगाये गये टाकों की दर्शित हो रही है। अभियुक्त दिनांक–02.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

9– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अभियुक्त की जेल की निरूद्धि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त की और से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मु०–100000/–(एक लाख) रूपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

1– प्रार्थी/अभियुक्त आरोप एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।

2– अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़–छाड़ करेगे।

3– अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा,जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा–II)

दिनांकः 27.07.2026 विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),बहराइच।